

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**1. AGRICULTURE**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of “**Agriculture**” may be revised with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provisions of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. **300** per day or Rs. **9000** per month w.e.f. **01-04-2021**.

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled will be as under:--**

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated

Shimla-2, the

9<sup>th</sup> September, 2021

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING.**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01-04-2021** as under:-

<b>Category of Workers</b>	<b>Revised Wages</b>	
	<b>Daily</b>	<b>Monthly</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>UN-SKILLED WORKERS :</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
Bhisthi/Chimini Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar	<b>300</b>	<b>9000</b>

/Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker

<b>SEMI-SKILLED WORKER:</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
-----------------------------	---------------	---------------

Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/ Caneman/ Distemplerer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ battery Charger/ Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper ( 5 years and above ) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi ( 3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant	<b>318.57</b>	<b>9557</b>
--	---------------	-------------

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = Rs. 1778.63 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 1983.95 per 100 cft.

<b>SKILLED WORKERS :</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
--------------------------	---------------	---------------

Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Asstt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter /	<b>348.21</b>	<b>10446</b>
---	---------------	--------------

Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi( 8 years to above) /Tracer Operator/ E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Forman Grade-II.

<b>HIGHLY SKILLED</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
-----------------------	---------------	---------------

Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.	<b>414.03</b>	<b>12421</b>
--	---------------	--------------

<b>Clerical and non Technical Supervisory Staff</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
---	---------------	---------------

Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/ Mechanical Inspector / Assistant Store Keeper/Accounts	<b>348.21</b>	<b>10446</b>
--	---------------	--------------

Clerk/Stenographer.

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i)Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii)Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Public Motor Transport**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provisions of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01-04-2021 as under:-**

**General Staff Unskilled      Rs.300 per day, Rs. 9000 per month**

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter and Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)
- (c) Workshop Mazdoor without having any experience

**Semiskilled                      Rs. 311.12 per day, Rs.9334 per month**

1. Asstt. Electrician
2. Asstt. Mechanic
3. Asstt. Fitter
4. Asstt. Black Smith
5. Asst. Carpenter
6. Asstt. Welder



7. Asstt. Turner
8. Asstt. Boaring Barman
9. Asstt. Machinist
10. Asstt. Cushion Maker
11. Asstt. Volcanisor
12. Asst. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt.Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
19. Assistant Molders.

**SKILLED:**

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

**Rs. 339.87 per day or Rs. 10196 per month.**

**HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:**

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

**Rs. 376.94 per day or Rs. 11308 per month.**

## **GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:**

### **Group-A**

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

**Rs. 339.87 per day or Rs. 10196 per month.**

### **Group-B**

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

**Rs.357.30 per day or Rs.10719 per month.**

### **Group-C**

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

**Rs.421.40 per day**

**Rs. 12642 per month.**

## **RUNNING STAFF**

	<b>Per Day</b>	<b>Per month</b>
1.Driver	<b>Rs.380.89</b>	<b>Rs. 11427</b>
2.Conductor	<b>Rs.347.59</b>	<b>Rs. 10428</b>
3.Cleaner-cum-Conductor	<b>Rs.325.25</b>	<b>Rs. 9757</b>
4.Part-Time Booking Clerk	<b>Rs.193.72</b>	<b>Rs. 5812</b>

### **NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated

Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Shops & commercial Establishments**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision of (Act No.11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01-04-2021 as under:-**

<b>Category of employees</b>	<b>Where no benefit is provided</b>	<b>Where food, tea &amp; combined accommodation provided</b>
<b>Un skilled</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.	<b>Rs.300 Daily Rs.9000 Monthly.</b>	<b>Rs 274.47 Daily Rs.8234 Monthly</b>

<b>Semi-Skilled</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/ Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter/ Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/ WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non- matric/ Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/ ITI Certificate Holder.	<b>Rs.316.99 Daily. Rs.9510 Monthly.</b>	<b>Rs. 289.12 Daily Rs.8674 Monthly</b>

<b>Skilled:</b>	<b>Rupees.</b>	<b>Rupees.</b>
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/Cutter (Tailoring) /General mechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/ Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/CinemaOperator/Salesmen/Drycleaner/Dyer /Barber/Regular machine man/ machinist/ Welder/Moulder/Cashier/Clerk/(Matric)Munim/receptio nist/ Waiter/ Bearer / Storekeeper/ headwaiter /Head bearer (Western Style Hotels)/Lineman.ITI certificate holder who are working in the same trade.	<b>Rs.348.21 Daily. Rs. 10446 Monthly.</b>	<b>Rs. 320.06 Daily Rs.9602 Monthly.</b>

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head	Rs.362.34	Rs. 335.37 daily
Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head	Daily.	Rs.10061 Monthly
Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/	Rs. 10870	
Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	Monthly	

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh.

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
(Ph.No.0177-2880551)



**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**5. FORESTRY INDUSTRIES**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Forestry Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision of (Act No.11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04.2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Category of Workers</b>	<b>Revised Minimum Wages</b>	
	<b>Daily</b>	<b>Monthly</b>
<b>UNSKILLED WORKERS</b>		
<b>1 Felling of trees:</b>	<b>Rs.300.00</b>	<b>Rs.9000</b>
1.Lopper (Changi)	<b>Rs.316.99</b>	<b>Rs.9510</b>
2.Feller (Garani)	<b>Rs.306.70</b>	<b>Rs.9201</b>
<b>2 Logging and sawing including timber passing:</b>		
1.Dresser (Panchani)	<b>Rs.306.70</b>	<b>Rs.9201</b>
2.Sawyer (Charani)	<b>Rs.376.94</b>	<b>Rs.11308</b>

3.Blacksmith	<b>Rs.353.92</b>	<b>Rs.10618</b>
<b>3 Carriage, stacking and timber passing by manual labour:</b>		
1. Mazdoor for carriage	<b>Rs.306.70</b>	<b>Rs.9201</b>
2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	<b>Rs.306.70</b>	<b>Rs.9201</b>
<b>4 Carriage of timber by Aerial ropeways :</b>		
1.Span Mistry-cum-Supervisor	<b>Rs.376.94</b>	<b>Rs.11308</b>
2.Span Mistry	<b>Rs.353.92</b>	<b>Rs. 10618</b>
<b>5 Carriage by water slide (pucci Nalli), dry slide (Pathru), Nullah Bahaan and Darya Bahaan (River floting):</b>		
1. Mohri-wala Mistry	<b>Rs.403.83</b>	<b>Rs.12115</b>
2. Taru	<b>Rs.387.60</b>	<b>Rs. 11628</b>
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	<b>Rs.362.34</b>	<b>Rs. 10870</b>
4. Darya-man	<b>Rs.387.60</b>	<b>Rs.11628</b>
5. Ghalu	<b>Rs.329.67</b>	<b>Rs.9890</b>
6. Jamadar	<b>Rs.329.67</b>	<b>Rs.9890</b>
<b>6 Mechanised logging and timber extraction:</b>		
1.Surveyor	<b>Rs.379.20</b>	<b>Rs.11376</b>
2.Ski-line Operator	<b>Rs.353.92</b>	<b>Rs.10618</b>
3 Truck Driver	<b>Rs.331.99</b>	<b>Rs.9960</b>
4. Compressor Driver	<b>Rs.331.99</b>	<b>Rs.9960</b>
<b>7 Clerical Staff:</b>		
1.Manager	<b>Rs.436.53</b>	<b>Rs.13096</b>
2.Accountant	<b>Rs.337.09</b>	<b>Rs. 10113</b>

3.Munshi/ Typist clerk	<b>Rs. 306.70</b>	<b>Rs. 9201</b>
------------------------	-------------------	-----------------

#### **8. Saw Mill Workers:**

1.Band Saw Mistry	<b>Rs.353.92</b>	<b>Rs.10618</b>
2.Supervisor	<b>Rs.350.53</b>	<b>Rs. 10516</b>
3.Head Mistry	<b>Rs. 353.92</b>	<b>Rs.10618</b>
4.Boiler Driver	<b>Rs.353.92</b>	<b>Rs.10618</b>
5.Assistant Mistry	<b>Rs.311.12</b>	<b>Rs.9334</b>
6.Planner Mistry	<b>Rs.311.12</b>	<b>Rs.9334</b>
7.Helper	<b>Rs.306.70</b>	<b>Rs.9201</b>
8.Cutter man	<b>Rs.306.70</b>	<b>Rs.9201</b>

#### **9 Katha Extraction:**

1.Feller and Chipper	<b>Rs.306.70</b>	<b>Rs.9201</b>
2. Katha Supervisor/Katha Processor	<b>Rs.306.08</b>	<b>Rs.9182</b>

#### **Highly Skilled**

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= **Rs.414.03** Daily. **Rs.12421** Monthly.

#### **NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated**

**Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS**

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Chemical & Chemical Products**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision (Act No.11 of 1948) of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Category of Workers</b>	<b>Revised minimum rates</b>
<b>Unskilled</b>	<b>Rs. 300.00 Daily.</b> <b>Rs. 9000 Monthly.</b>
<b>Semi Skilled</b>	
Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Coprman, Re-irrigation, Assistant , Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller, Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.	<b>Rs. 309.27 Daily.</b> <b>Rs. 9278 Monthly.</b>

### **Skilled**

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, **Rs. 348.21 Daily.**  
Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, **Rs. 10446 Monthly.**  
Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman,  
Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant  
Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman,  
Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are  
working in the same trade.

### **Highly Skilled**

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman **Rs. 414.03 Daily.**  
**Rs. 12421 Monthly.**

### **NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(IV). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

No.Shram (A) 4-2/2018-P-I

Dated

Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)



**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**7. ENGINEERING INDUSTRIES**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Engineering Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision (Act No.11 of 1948) of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

**Un-Skilled**

**Rs.300 Daily or**

**Rs.9000 Monthly.**

**Semi skilled**

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic,

**Rs. 309.27 Daily or**

**Rs. 9278 Monthly.**

Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

### **Skilled**

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

**Rs.348.21 Daily.**

**Rs.10446 Monthly**

### **Highly Skilled**

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughterman Grade-I, Miller Grade-I. Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I,

**Rs.414.03 Daily.**

**Rs.12421 Monthly.**

Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter  
Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

### **Clerical Staff**

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

**Rs.321.87 Daily.**

**Rs.9656 Monthly.**

### **NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

### **The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

**(i)Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii)Semi -skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii)Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the      9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**8. TEA PLANTATION**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2021**;

And whereas as per provision of (Act No. 11 of 1948) of clause (a) sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Category of Workers</b>	<b>Revised Minimum Wages</b>
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;	<b>Rs. 300.00 Daily or Rs. 9000 Monthly.</b>

**A-Grade Leaves** -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 21.70 per kilogram extra as incentive.

**B Grade Leaves** If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 17.17 per kilogram extra as incentive.

**C-Grade Leaves-** If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 12.80 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 21.70, Rs. 17.17 Rs. 12.80 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

**SEMI-SKILLED:** Workers engaged in Tea Factory and Tea Plantations. **Rs.305.01** per day, **Rs.9150** per month

**FACTORY:**

Include lift Mazdoor, withering Mazdoor, **Rs. 300 daily**  
relling room workers, shifting Mazdoor, **Rs. 9000 Monthly.**  
Fermenting room workers, tea boys,  
sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)

**PLANTATION:**

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, **Rs. 300 daily**  
Muharirs etc. who maintain records of a field work **Rs. 9000 Monthly.**  
and also includes sweeper, Mali & Mate.

**CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF**

**OFFICE STAFF:**

1. Accountant	<b>Rs. 458.46</b>	<b>Rs.13754</b> per month plus free accommodation
2. Clerks	<b>Rs. 348.21</b>	<b>Rs.10446</b> per month plus free accommodation
3. Munshi	<b>Rs. 364.97</b>	<b>Rs.10949</b> per month plus free benefits as admissible to clerk
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	<b>Rs.305.01</b>	<b>Rs.9150</b> per month plus free benefit as admissible.
		<b>Daily</b> <b>Monthly</b>
5. Compounder		<b>Rs.424.69</b> <b>Rs.12741</b>

6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)	<b>Rs.380.88</b>	<b>Rs.11427</b>
7. Mechanic ,	<b>Rs.428.11</b>	<b>Rs.12843</b>
8. Assistant Mechanic	<b>Rs.379.20</b>	<b>Rs.11376</b>
9. Electrician-cum- Mechanic Grade-I	<b>Rs.428.11</b>	<b>Rs.12843</b>
10. Electrician-cum- Mechanic Grade-II	<b>Rs.379.20</b>	<b>Rs.11376</b>

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**(i)Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii)Semi -skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated**

**Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the

Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)



**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN  
CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948**

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision (Act No. 11 of 1948) of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Un-skilled Workers</b>	<b>Rs. 300 per day or Rs. 9000 per month</b>
<b>Semi-skilled</b>	<b>Rs. 309.27 P.D. or Rs. 9278 per month</b>
<b>Skilled &amp; clerical staff</b>	<b>Rs. 348.21 P.D. or Rs. 10446 per month</b>
<b>Highly-Skilled</b>	<b>Rs. 414.03 P.D. or Rs. 12421 per month</b>

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh.

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated**

**Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**10. HOTEL AND RESTAURANTS**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Hotel and Restaurants**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) of clause (a) sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
<b>UN-SKILLED:</b>	<b>Rupees</b>	<b>Rupees</b>
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/	<b>Rs. 300 Daily</b>	<b>Rs. 274.47 Daily</b>
Masalachi/ Gateman/ Waterman/	<b>Rs.9000 Monthly</b>	<b>Rs. 8234 Monthly</b>
Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/		

Bhishti/ Beldar/Fireman/ Pandi/ Posterman/  
any worker doing un-skilled job.

**SEMI-SKILLED WORKER:**

**Rupees**

**Rupees**

Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman  
/ Assistant Baker/Cook/ Assistant  
Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling  
Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide  
/Assistant Mistry/ Assistant Fitter/  
Sewerman/ Assistant Turner /Assistant

**Rs. 316.99 Daily**

**Rs 290.11**

**Rs.9510 Monthly**

**Rs.8703 Monthly.**

Welder/ Assistant Electrician/ Assistant  
Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi/  
Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water  
Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter/  
White Washer/ Pakora and Chana  
Maker/Clerk (Non-Matric)/ Assistant Store  
Keeper/Distributor and Assistant  
Machinman/ Enquiry Attendant/ Telephone  
Attendant/ ITI certificate holder who are  
working in the other trade.

**SKILLED WORKERS :**

**Rupees.**

**Rupees.**

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/St  
eward/Butler/Draughtsman/TelephoneOpera  
tor/Receptionist/Waiter/Bearer/Store  
Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western  
Style Hotel.) ITI certificate holder who  
are working in the same trade.

**Rs. 348.21 Daily**

**Rs. 320.06 Daily**

**Rs.10446 Monthly.**

**Rs. 9602 Monthly.**

<b>Highly Skilled</b>	<b>Rupees.</b>	<b>Rupees.</b>
Store Keeper/ Clerks (Graduates)	<b>Rs. 362.34 Daily</b>	<b>Rs. 335.37</b>
Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	<b>Rs.10870 Monthly.</b>	<b>Rs. 10061 Monthly.</b>

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Private Educational Institutes**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **01-04--2021**;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04--2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Un-skilled Workers</b>	<b>Rs. 300 per day or</b>	<b>Rs. 9000 per month</b>
<b>Semi-skilled</b>	<b>Rs. 316.99 per day or</b>	<b>Rs. 9510 per month</b>
<b>Skilled</b>	<b>Rs. 348.21 per day or</b>	<b>Rs. 10446 per month</b>
<b>Highly skilled</b>	<b>Rs. 362.34 per day or</b>	<b>Rs 10870 per month</b>

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.



4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh.

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated**

**Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**12. Hydro Power Projects**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hydro Power Projects**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

**Category of Workers**

**Minimum Wages**

**Daily**

**Monthly**

**UN-SKILLED WORKERS :**

**Rs.**

**Rs.**

Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture

**300**

**9000**

Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

#### **SEMI-SKILLED WORKER:**

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator , Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Elctrician, Mali

**318.57      9557**

#### **SKILLED WORKERS :**

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT

**348.21      10446**

Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor( Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Experience) and Dhobi.

### **HIGHLY SKILLED**

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience) **414.03** **12421**

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the      9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Pharmaceuticals' Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Category of Workers</b>	<b>Minimum</b>	<b>Wages</b>
	<b>Daily</b>	<b>Monthly</b>
<b>Unskilled</b> Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	<b>Rs.300</b>	<b>Rs.9000</b>
<b>Semi Skilled</b>		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	<b>Rs.309.27</b>	<b>Rs. 9278</b>



## **Skilled**

Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier. **Rs. 348.21**      **Rs. 10446**

**Highly Skilled:-** Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer. **Rs. 414.03**      **Rs. 12421**

## **NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

## **The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper

discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(IV). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hospitals/Nursing Homes & Clinics**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2021**

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Category of employees</b>	<b>Where no benefit is provided</b>	<b>Where food, tea &amp; combined accommodation provided</b>
<b>Un skilled</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy and Masalchi.	<b>300 Daily</b>	<b>274.47 Daily</b>
	<b>9000 Monthly.</b>	<b>8234 Monthly</b>
<b>Semi-Skilled</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Sweeper, Operation Theatre Assistant,	<b>316.99 Daily.</b>	<b>289.12 Daily.</b>

Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Ward Boy and Ward Attendant (0-3 Years Experience)	<b>9510 Monthly</b>	<b>8674 Monthly.</b>
--	-------------------------	----------------------

<b>Skilled:</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience)	<b>348.21 Daily. 10446 Monthly</b>	<b>320.06 Daily. 9602 Monthly.</b>

<b>Highly Skilled</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder. Accountant and Stenographer	<b>362.34 Daily. 10870 Monthly</b>	<b>335.37 Daily. 10061 Monthly.</b>

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the 9<sup>th</sup>September,2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**15. Domestic Workers**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Domestic Workers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04--2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Category of employees</b>	<b>Where no benefit is provided</b>	<b>Where food, tea &amp; combined accommodation provided</b>
<b>Un skilled</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and Washer man	<b>300 Daily</b>	<b>246 Daily.</b>
	<b>9000 Monthly.</b>	<b>7380 Monthly.</b>

<b>Semi-Skilled</b>	<b>Rs</b>	<b>Rs</b>
Security Guard and Mali	<b>316.99 Daily.</b>	<b>256.88 Daily,</b>
	<b>9510 Monthly</b>	<b>7306 Monthly.</b>
<b>Skilled:</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Cook and Driver	<b>348.21 Daily.</b>	<b>276.92 Daily</b>
	<b>10446 Monthly</b>	<b>8303 Monthly.</b>

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must

posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the      9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
(Ph.No.0177-2880551)



**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**16. Safai Karamchari Employment**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Safai Karamchari Employment**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Category of Workers</b>	<b>Minimum Wages</b>	
	<b>Daily</b>	<b>Monthly</b>
<b>Unskilled:-</b> Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and Cartman,	<b>Rs. 300</b>	<b>Rs.9000</b>
<b>Semi Skilled</b>		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	<b>Rs.309.27</b>	<b>Rs. 9278</b>

## **Skilled**

Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk, **Rs 348.21** **Rs. 10446**  
Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.

## **Highly Skilled**

Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer, **Rs. 414.03** **Rs. 12421**

### **NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

### **The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(IV). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I Dated Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**17. Security Services**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Security Services**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 14-07-2021 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Minimum Wages Act (Act No. 11 of 1948) Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Un-Skilled</b>	<b>Daily</b>	<b>Monthly</b>
Helper and Watchman	<b>Rs. 300</b>	<b>Rs.9000</b>
<b>Semi skilled</b>		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	<b>Rs. 309.27</b>	<b>Rs.9278</b>
<b>Skilled</b>		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	<b>Rs. 348.21</b>	<b>Rs.10446</b>

## Highly Skilled

Security Officer, Security Manager,

Rs.414.03

Rs.12421

Stenographer and Accountant.

### **NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

### **The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

**(i)Skilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii)Semi -skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv). Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**18. Temples and Religious Places/Dharamshalas**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Temples and Religious Places/Dharamshalas**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

<b>Category of employees</b>	<b>Where no benefit is provided</b>	<b>Where food, tea &amp; combined accommodation provided</b>
<b>Un skilled</b>	<b>Rs</b>	<b>Rs</b>
Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	<b>300 Daily</b>	<b>274.47 Daily</b>
	<b>9000 Monthly</b>	<b>8234 Monthly.</b>
<b>Semi-Skilled</b>	<b>Rs</b>	<b>Rs</b>
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest	<b>316.99 Daily</b>	<b>289.12 Daily</b>

Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, **9510 Monthly** **8674 Monthly**  
Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali,  
Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and  
Complaint Attendant.

<b>Skilled:</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit,	<b>348.21 Daily</b>	<b>320.06 Daily</b>
Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	<b>10446 Monthly</b>	<b>9602 Monthly</b>

<b>Highly Skilled</b>	<b>Rs.</b>	<b>Rs.</b>
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan	<b>362.34 Daily.</b>	<b>335.37 daily</b>
Singer, Stenographer, and Accountant.	<b>10870 Monthly</b>	<b>10061 Monthly.</b>

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.



**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(ii) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
(Ph.No.0177-2880551)

**(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-I dated 2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

**NOTIFICATION**

**No. Shram (A) 4-2/2018-P-I**

**Dated Shimla-2, the**

**9<sup>th</sup> September, 2021**

**19. Workers Working in Toll Tax Barriers**

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Workers Working in Toll Tax Barriers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2021**;

And whereas, as per provision of (Act No. 11 of 1948) clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-L, dated 30-07-2020;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **14-07-2021** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2021**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01-04-2021** as per recommendations of the said Committee as under:-

	<b>Minimum Daily</b>	<b>Wages Monthly</b>
<b>Un-skilled Workers :-</b>	<b>Rs.300</b>	<b>Rs. 9000</b>

Peon, Office Boy and Masalchi.

**Semi-skilled:-** **Rs.309.27 per day or**

Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard and Complaint Attendant. **Rs. 9278 per month**

**Skilled:-**

Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, **Rs. 348.21 per day or**  
Clerk, Computer Operator, Data Entry **Rs. 10446 per month**  
Operator and Cashier.

**Highly-Skilled:-**

Supervisor, Superintendent, Stenographer **Rs. 414.03 per day or**  
and Accountant. **Rs. 12421 per month**

**NOTE:-**

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

**The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-**

**(i) Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

**(ii) Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

**(iii) Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

**(iv) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Addl. Chief Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh

**No.Shram (A) 4-2/2018-P-I      Dated      Shimla-2, the 9<sup>th</sup> September, 2021**

**Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Addl. Chief Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P., Shimla-2.
3. The LR-cum-Pr. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2
4. The Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab.)M.W./8/07, dated 30.07.2021.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh
10. Guard File

**(Anil Kumar Katoch)**

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the  
Government of Himachal Pradesh  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. कृषि

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **14-07-2021** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2021** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2021** से **300/-रुपए प्रतिदिन या 9000/-रुपए प्रतिमास** की दर से संशोधित करते हैं:-

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 का अधिनियम (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जन-जातीय क्षेत्रों में, न्यूनतम मजदूरी पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी/(वृद्धि) लागू होगी।

## अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी: —

(i) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।  
अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
10. गार्ड फाईल ।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

**2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी जिसमें समस्त 19 (उन्नीस) अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
1	2	3
<b>अकुशल कर्मकार:</b>	<b>रुपए</b>	<b>रुपए</b>
भिशाती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टेम्परर ग्रेड-II/ गलेजियर/पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/बिटुमन के लिए स्प्रे मैन/पाइप लाईन मैन /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्योरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रैक्टर एवं रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/ सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी)/ ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल ) /खलासी ( 0 से 3 साल ) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।	<b>300/-</b>	<b>9000/-</b>
<b>अर्धकुशल कर्मकार:</b>	<b>रुपए</b>	<b>रुपए</b>
कारपेन्टर ग्रेड-II/ मैसन ग्रेड— II / स्प्रूअर मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड— II / सैनितरी फिटर ग्रेड-II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन रोडज/ क्रैन-मैन/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ ( बोट मैन ) / क्रेन-मैन / डिस्टेम्परर ग्रेड-I/फिटर ग्रेड-II फलोर-पालिशर/	<b>318.57</b>	<b>9557/-</b>

/ स्टोन ड्रेसर / माली / वैल-सिंकर / व्हाइट-वाशर / वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड--II, टर्नर-ग्रेड- -II / पाइप फिटर ग्रेड--II / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलडर / सहायक टर्नर / बैटरी चार्जर / ड्रेसर (अर्हित/अनुभवी) / हैमरमैन/कुक / वल्कनाईजर/नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रोली आपरेटर / एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 साल और इससे अधिक )/ आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / खलासी ( 3 से 8 साल) / स्टोन-ड्रेसर / पम्प-एटैन्डेन्ट / औटा इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II / गार्डनर / गेज-रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट / औटो इलेक्ट्रिशियन / मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ स्टोन ड्रेसर/ स्टोन-ब्रेकर / राक स्टोन ब्रेकर / स्टोन-क्रेशर

1½ इंच से 2 इंच =  
1778.63 रुपए प्रति सौ घन फुट

1 इंच से 1¼ इंच = 1983.95  
रुपए प्रति सौ  
घन फुट

#### कुशल कामगार:

कारपेन्टर ग्रेड- I / मैसन ग्रेड- I / ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड- I / अप-होलसल्टर ग्रेड- I / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड.- II / जल आपूर्ति फिटर/ कारपेन्टर ग्रेड-II / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड- I / दर्जी या टेलर ग्रेड- II / क्रशर ड्राइवर / अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड- I / पाईप फिटर ग्रेड- I / आटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर-आपरेटर / संरचानात्मक फिटर ग्रेड-- II / वर्कशाप फिटर/ जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर/क्रशिंग प्लांट फिटर / (बी०) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-आपरेटर/ शाफ्ट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सक्रेपर-आपरेटर / लोडर आपरेटर / क्रैन-आपरेटर / युकलिड-आपरेटर / वैगन ड्रिल ऑपरेटर / बोरिंग-आपरेटर / एस०एल०डी० क्रैन आपरेटर/ (बी०) प्लांट-आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या वैलडर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ /

रु.. पै.  
348.21

रु.. पै.  
10446/-



ट्रैक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन/ टेलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर /विन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर /क्लाइमबर / मोल्डर /लेवलरज/ साँ मिल कटर/केबल जाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड-II /खलासी ( 8 साल से अधिक ) / ट्रेसर आपरेटर / ई०एम०ई० / ड्राइवर / कम्प्रेसर/ रौकर शोवेल आपरेटर / स्नो कटर आपरेटर / लोको-आपरेटर/ गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क-मिस्ट्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर /टेलीफोन मकैनिक / डी०जी०सेट आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड-II ।

### उच्च कुशल

	रु०. पै.	रु०. पै.
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड- I/ चार्ज मैन ग्रेड- I / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड- I / टर्नर ग्रेड- I/ मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्ट्री और कारपेन्टर मिस्ट्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड- I / सर्वेयर / ड्राफ्टसमैन / सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित )रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राइवर/ वायरमैन / आटो इलेक्ट्रिशियन/ इलेक्ट्रिशियन / कैमिकल एनालाइजर ।	<b>414.03</b>	<b>12421/-</b>

### लिपिक और गैर- तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

	रुपए	रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी/ सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फैरो-प्रिन्टर / ड्राइवर ( जीप/ कार/ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।	<b>348.21</b>	<b>10446/-</b>

### टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर-जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

### 3. लोक मोटर परिवहन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों का 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):

300 / - रूपए प्रतिदिन  
9000 / - रूपए प्रतिमास

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी

(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल )

(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है ।

अर्ध-कुशल :

311.12 रूपए प्रतिदिन 9334/- रूपए प्रतिमास

1. सहायक इलेक्ट्रिशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर
6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर
8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन-मेकर
11. सहायक बोलकेनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलेक्ट्रिशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रेडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का सर्टिफिकेट हो या जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो की दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो।
19. सहायक मोल्डर ।

**कुशल:-**

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन, स्प्रे पेंटर, इलेक्ट्रिशियन मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।

रु 339.87 प्रतिदिन या रु.10196/- प्रतिमास

**उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ**

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर ।

रु0 376.94 प्रतिदिन या  
रु. 11308 / -  
प्रतिमास

### जनरल स्टाफ (लिपिकीय) आदि:

#### ग्रुप -ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक-राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क ( रिस्टोरर ), लैजर कीपर, पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

रु0 339.87 या रु.  
प्रतिदिन 10196 / -  
प्रतिमास

#### ग्रुप-बी:

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक ।

रु0 357.30 या रु.  
प्रतिदिन 10719 / -  
प्रतिमास

#### ग्रुप-सी:

हैड एसिस्टैन्ट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर ।

रु0 421.40 रु.  
प्रतिदिन 12642 / -  
प्रतिमास

### रनिंग-स्टाफ:

1 ड्राइवर

रु0 380.89 रु. 11427 / -  
प्रतिदिन प्रतिमास

2 कंडक्टर

रु0 347.59 रु. 10428 / -  
प्रतिदिन प्रतिमास

3 कलीनर -कम -कन्डक्टर

रु0 325.25 रु. 9757 / -  
प्रतिदिन प्रतिमास

4 पार्ट- टाइम बुकिंग क्लर्क

रु0 193.72 रु. 5812 / -  
प्रतिदिन प्रतिमास

#### टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**



हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021.

#### 4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा  
उपलब्ध नहीं कराई  
गई है

जहां भोजन, चाय,  
और संयुक्त आवास,  
सुविधा उपलब्ध  
कराई गई है

**अकुशल:**

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार / चौकीदार  
/ चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन /  
वाटरमैन / क्लीनर / पैकर / मजदूर / लेन्डर  
/ अनलेन्डर / मैसेंजर / क्लोक रूम अटेंडेन्ट  
/ पोर्टर/भिश्ती / बेलदार / फायरमैन /  
पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो  
अकुशल कार्य कर रहा हो ।

रु० 300 प्रतिदिन  
रुपए 9000 मासिक

रुपए 274.47 प्रतिदिन  
रुपए 8234 मासिक

**अर्धकुशल:**

हैड पोर्टर, पैंटरीमैन / कॉफी -टीमेकर /  
चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर  
(सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक  
-ऑपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट

रु० 316.99 प्रतिदिन तथा रु० 9510 मासिक  
रु० 289.12 प्रतिदिन तथा रु० 8674 मासिक

/ बिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / असिस्टेंट-  
हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर  
/ रूलिंग-कटिंग औक्शनर / माली /  
सीवरमैन / होटल-गाइड  
/ सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर /  
सहायक-टर्नर / सहायक-वैल्डर /  
सहायक-इलैक्ट्रिशियन / सहायक-सेल्जमैन  
/ सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन /  
बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर / वेटर /  
वेयरर / ऐसिसटेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर  
/ व्हाइट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर /  
कलर्क / (नॉन मेट्रिक / सहायक स्टोर  
कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर और सहायक-मशीनमैन /  
इनक्वायरी अटैन्डेन्ट / टेलीफोन अटैन्डेन्ट /  
'आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक ।

### कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टिनस्मिथ / वॉचमेकर / रेडियो  
मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / ड्राइवर  
/ सहायक टेलर / कटर (टेलरिंग) / जनरल  
मकैनिक / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर /  
बेकर / स्टुवार्ड / बटलर / फिटर / ड्राफ्टसमैन  
/ टेलीफोन-ओपरेटर / कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ  
/ शू-मेकर / शाल कारपेट वीविंग /  
कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन /  
ड्राइक्लीनर / ड्रायर / बारबर / रेगुलर मशीनमैन  
/ मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर / कैशियर /  
क्लर्क (मैट्रिक) मुनीम / रिसेप्शनिस्ट / वेटर /  
बैरा / स्टोर-कीपर / हैड वेटर /  
हैड-बैरा (वेस्टरन स्टाइल होटल ) / लाइनमैन  
आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में  
कार्य कर रहे हों ।

रु० 348.21 प्रतिदिन रुपए 320.06 प्रतिदिन  
रु० 10446 मासिक रुपए 9602/- मासिक

## उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) / लेखाकार / रु० 362.34 प्रतिदिन रु० 335.37 प्रतिदिन  
हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / रु० 10870/- मासिक रु० 10061/- मासिक  
हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक /  
इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर  
/ कटर (टेलरिंग ) ।

## टिप्पणी:-

- 1, समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी ।
- 3, जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
- 5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1 तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

5. वानिकी उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम मजदूरी	
	दैनिक	मासिक
अकुशल कर्मकार		
1 वृक्षों का गिराना	रुपए 300/-	रुपए 9000/-
1 लॉपर (छांगी)	रुपए 316.99	रुपए 9510/-
2 फैंलर (गिरानी)	रुपए 306.70	रुपए 9201/-
2 लॉगिंग एण्ड सॉइंग टिम्बर पासिंग सहित		
1 ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 306.70	रुपए 9201/-
2 सॉयर (चिरानी)	रुपए 376.94	रुपए 11308/-
3 ब्लैकस्मिथ	रुपए 353.92	रुपए 10618/-
3 ढुलान, ढेरी लगाना और शारीरिक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरण:		
1. ढुलाई के लिए मजदूर।	रुपए 306.70	रुपए 9201/-
2. इमारती लकड़ी को लादनें और उतारने के लिए मजदूर।	रुपए 306.70	रुपए 9201/-

4	रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई:		
	1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 376.94	रुपए 11308/-
	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 353.92	रुपए 10618/-
5	पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राइ स्लाइड), नाला बहान दरिया बहान (रिवर फलोटींग) द्वारा ढुलाई:		
	1. मोहरी -वाला मिस्त्री	रुपए 403.83	रुपए 12115/-
	2. तारू	रुपए 387.60	रुपए 11628/-
	3. असिसटेंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 362.34	रुपए 10870/-
	4. दरियामैन	रुपए 387.60	रुपए 11628/-
	5. घालू	रुपए 329.67	रुपए 9890/-
	6. जमादार	रुपए 329.67	रुपए 9890/-
6	यंत्रिकृत लॉगिंग और लकड़ी की निकासी:		
	1. सर्वेयर	रुपए 379.20	रुपए 11376/-
	2. स्काई लाइन ऑपरेटर	रुपए 353.92	रुपए 10618/-
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 331.99	रुपए 9960/-
	4. कंप्रेसर ड्राइवर	रुपए 331.99	रुपए 9960/-
7	लिपिकीय कर्मचारिवृन्द:		
	1. मैनेजर	रुपए 436.53	रुपए 13096/-
	2. एकाउन्टेंट	रुपए 337.09	रुपए 10113/-
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 306.70	रुपए 9201/-
8	साँ मिल वर्कर :		
	1.बैंड साँ मिस्त्री	रुपए 353.92	रुपए 10618/-
	2.सुपरवाइजर	रुपए 350.53	रुपए 10516/-
	3.हैड मिस्त्री	रुपए 353.92	रुपए 10618/-
	4.बॉयलर ड्राइवर	रुपए 353.92	रुपए 10618/-
	5.एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 311.12	रुपए 9334/-
	6.प्लेनर मिस्त्री	रुपए 311.12	रुपए 9334/-
	7.हैल्पर	रुपए 306.70	रुपए 9201/-
	8.कटर मैन	रुपए 306.70	रुपए 9201/-

9

## कत्था निकासी :

1. फ़ैलर तथा चिप्पर	रुपए 306.70	रुपए 9201/—
2. कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रौसेसर	रुपए 306.08	रुपए 9182/—

### उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी)  
ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए 414.03 दैनिक रुपए 12421/— मासिक

टिप्पणी:-

- 1 समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए

कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**



हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

**6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रसायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **14-07-2021** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2021** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2021** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम दरें

अकुशल:

दैनिक	मासिक
रूपए	रूपए
300/-	9000/-

अर्धकुशल:

दैनिक	मासिक
रूपए	रूपए
309.27	9278/-

एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ऑपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, सी-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, ऑयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-I, मशीन लैवलर, सेलैक्टर, कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर, हैगमैन, आई०टी०आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।

कुशल:

दैनिक मासिक

सॉल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट  
आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिस्टेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट  
ग्रेड-11, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन,  
एसिस्टेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिक ), सेल्ज मैन,  
रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर । आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र  
(सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं ।

दैनिक मासिक

उच्च-कुशल:

बॉयलर एटेंडेंट (प्रथम श्रेणी ),ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।

रूपए रूपए  
414.03 12421/-

टिप्पणी:

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है । अतः उसके

कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

## 7. इंजीनियरिंग उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **14-07-2021** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2021** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2021** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
अकुशल	300/-	9000/-

अर्धकुशल:

	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
टेपर ग्रेड-III, टर्नर ग्रेड- III, ड्रिलर ग्रेड- III, रोमर ग्रेड- III, शेयर मैन ग्रेड- III, मशीनमैन, मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेड- III, ब्रजर ग्रेड- III, हैड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेड- III, प्रैस आपरेटर ग्रेड- III, स्प्रे पेंटर ग्रेड- III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड- III, असैम्बलर ग्रेड- III, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड- III, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलैक्टोप्लेटर ग्रेड- III, मोपर ग्रेड- III, ग्राइंडर ग्रेड- III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड- III, थ्रैड/ रोलर आपरेटर ग्रेड- III, बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड- III, फीडर ग्रेड- III, डाइमेकर ग्रेड- III, वैल्डर ग्रेड- III, टिनस्मिथ ग्रेड- III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड- III, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड- III, बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड- III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड III, ऑयलमैन।	309.27	9278/-

कुशल:

टेपर ग्रेड- II, टर्नर ग्रेड- II ड्रिलर ग्रेड- II शेपर ग्रेड- II शेपर मैन ग्रेड- II, स्लाटरमैन ग्रेड- II, मकैनिसट/ आपरेटर/ ब्रजर ग्रेड- II, लाईनर ग्रेड- II स्प्रे पैन्टर ग्रेड- II, ट्रांसफर मिकसर ग्रेड- II, प्रैस आपरेटर ग्रेड- II, असैम्बलर ग्रेड- II, टेलर ग्रेड- II, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- II, मोपर ग्रेड- II, ग्राईडर ग्रेड- II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड II, थ्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड- II, बुक स्करयू मशीन आपरेटर ग्रेड- II, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड- II, फिटर ग्रेड- II, कारपेंटर / पैटरन मेकर ग्रेड- II, डाईमेकर ग्रेड - II, साइस्टर ग्रेड- II, वैल्डर ग्रेड- II, टिनस्मिथ ग्रेड- II, हैमरमैन ग्रेड- II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड- II, टूलसैटर ग्रेड- II, इलेक्ट्रिकल लाईनमैन ग्रेड- II, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड- II, आरमैचर वाईडर और कॉईल वाईडर ग्रेड- II, केबल ज्वाईटर ग्रेड- II, वाऊचर इंसपेक्टर ग्रेड- II, लिस्टर डीजल इंजन ड्राईवर ग्रेड- II, मोल्डर ग्रेड- II, सुपरवाईजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

दैनिक  
रूपए  
348.21

मासिक  
रूपए  
10446 / -

उच्च-कुशल:-

टर्नर ग्रेड- I, ग्राईडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड- I, शेपर मैन ग्रेड- I, स्लाटरमैन ग्रेड- I, मिलर ग्रेड- I, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- I, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड- I, फिटर ग्रेड- I, कारपेंटर/ पैटर्न मेकर ग्रेड- I, डाईमेकर ग्रेड- I, एन्ग्रेवर ग्रेड- I, ब्लैकस्मिथ ग्रेड- I, डाईसैटर ग्रेड- I, टूल सैटर ग्रेड- I, इलैक्ट्रिशियन ग्रेड- I

दैनिक  
रूपए  
414.03

मासिक  
रूपए  
12421 / -

लिपिकीय कर्मचारिवृन्द:

कौशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर।

दैनिक  
रूपए  
321.87

मासिक  
रूपए  
9656 / -

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।  
  
(ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

**8.चाय बागान (टी प्लांटेशन)**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **14-07-2021** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2021** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2021** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम मजदूरी

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण,उखाडनें, स्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लोपिंग) निराई, कांट -छांट करने, गुडाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।

रूपए

रूपए

**300** /-दैनिक **9000** /- मासिक

**ए-ग्रेड पत्तियां**—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है या तोड़ती है, तो उसे **21.70** रूपए प्रति किलोग्राम, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

**बी ग्रेड पत्तियां**—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है या तोड़ती है, तो उसे **17.17** रूपए प्रति किलोग्राम अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

**सी ग्रेड पत्तियां**—यदि पत्तियों का तुडान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है या तोड़ती है, तो उसे **12.80** रूपए प्रति किलोग्राम अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के -'ए', 'बी व 'सी' ग्रेड के लिए **21.70** रूपए, **17.17** रूपए और **12.80** रूपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेंगे।



## अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 305.01रुपए प्रतिदिन, 9150/— रुपए प्रतिमास मिलेंगे ।

## कारखाना :

इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिपिंग मजदूर, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार, टी ब्याएज, सार्टज, टी-मेकर्ज,टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं ।

रुपए 300/— दैनिक और

रुपए 9000 /—मासिक

## पौधरोपण :

कलीनर, असिस्टेंट कलीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीर्ज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर,माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

रुपए 300 रुपए दैनिक

रुपए 9000 मासिक

## लिपिकीय और गैर-तकनीकी पर्येवक्षण कर्मचारिवृन्दः

1. लेखाकार रुपए 458.46 प्रतिदिन रुपए 13754/— प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
2. लिपिक रुपए 348.21 प्रतिदिन रुपए 10446/—प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
3. मुन्शी रुपए 364.97 प्रतिदिन रुपए 10949/— प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।
4. चपरासी/ रुपए 305.01 प्रतिदिन रुपए 9150/— प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो चौकीदार/ लिपिक जो अनुज्ञेय हैं । चौधरी

	दैनिक	मासिक
5. कम्पाउन्डर	रुपए 424.69	रुपए 12741/—
6. ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर )	रुपए 380.88	रुपए 11427/—
7. मकैनिक	रुपए 428.11	रुपए 12843/—
8. असिस्टैन्ट मकैनिक	रुपए 379.20	रुपए 11376/—
9. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -I	रुपए 428.11	रुपए 12843/—
10. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -II	रुपए 379.20	रुपए 11376/—

टिप्पणी:

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
10. गार्ड फाईल ।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

**9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापना ।**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **14-07-2021** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2021** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2021** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रुपए 300/- प्रतिदिन या रुपए 9000/-प्रतिमास
अर्द्ध-कुशल	रुपए 309.27 प्रतिदिन या रुपए 9278/- प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)	रुपए 348.21 प्रतिदिन या रुपए 10446/- प्रतिमास
उच्च कुशल	रुपए 414.03 प्रतिदिन या रुपए 12421/- प्रतिमास

टिप्पणी:

- 1, समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और ब्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।

- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अति0 मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

सितम्बर, 2021

## 10.होटल और रैस्टोरेंट

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **14-07-2021** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2021** से लागू करने की सिफारिश की गई थी ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2021** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

### संशोधित मजदूरी

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा  
उपलब्ध नहीं  
कराई गई है

जहां संयुक्त  
आवास और खाना,  
चाय आदि की  
प्रसुविधा उपलब्ध  
कराई गई है

अकुशल: 1.

2.

3.

हैल्पर / चौकीदार / चपरासी / स्वीपर / मसालची  
/ गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लोक रूम  
अटैंडेंट / पोटर/भिश्ती / बेलदार / फायरमैन  
/ पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामकार जो  
अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।

रूपए 300/-  
दैनिक

रूपए 9000/-  
मासिक

रूपए 274.47 दैनिक

रूपए 8234/-  
मासिक

## अर्धकुशल कर्मकार

पैंट्रीमैन / कॉफी-टी मेकर / चपातीमैन / सहायक बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक वाईडर / सटिचर / रूलिंग कटिंग / ऑक्शनर / माली / होटल गाईड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट वैल्डर / असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन / असिस्टेंट सेल्जमैन / असिस्टेंट बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलरमैन / फिल्म रिवाईडर / वाटरवीअरर / असिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौडा और चना मेकर / कलर्क (नॉनमैट्रिक) / असिस्टेंट स्टोर कीपर / डिस्ट्रीबूटर और असिस्टेंट मशीनमैन / इनक्वायरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट / आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।	रूपए-316.99 दैनिक रूपए 9510/- मासिक	रूपए 290.11 दैनिक रु 8703 /- मासिक
---	--	---

## कुशल कर्मकार:

ड्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर / बेकर / स्टीवार्ड / बटलर / ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर / वेयरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल ) आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।	रूपए 348.21 दैनिक रूपये 10446/- मासिक	रूपए 320.06 दैनिक रूपए 9602/- मासिक
--	---	---

## उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) / अकाउंटेंट / हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।	रूपए 362.34 दैनिक रूपये 10870/- मासिक	रूपए 335.37 दैनिक रूपए 10061/- मासिक
--	---	--



टिप्पणी:

- 1, समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

## 11. निजी भौक्षिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी भौक्षिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2021 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रूपये 300 दैनिक या	रूपये 9000 /- प्रतिमास
अर्द्ध-कुशल	रूपये 316.99 दैनिक या	रूपये 9510 /- प्रतिमास
कुशल	रूपये 348.21 दैनिक या	रूपये 10446 /- प्रतिमास
उच्च कुशल	रूपये 362.34 दैनिक या	रूपये 10870 /- प्रतिमास

टिप्पणी:

- 1, समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4 यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अति0 मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

सितम्बर, 2021

## 12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **14-07-2021** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2021** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2021** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

न्यूनतम मजदूरी  
दैनिक मासिक

चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, टरनर का सहायक, इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक, वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक,

रूपए 300/- रूपए 9000/-

कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटेन्डेड, जनरेटर अटेन्डेड, टीएम अटेन्डेड, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, कलीनर—कम—बेलदार, वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले कलीनर, सहायक ब्रूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनींग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

**अर्ध—कुशल कर्मकार :-**

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर, कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटेन्डेण्ट, जनरेटर अटेन्डेड, लोकोमोटिव अटेन्डेण्ट, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेड, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोरेट्री सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल इंजन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटेण्डेंट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटेन्डेड, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रैपर, पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्प्लेंट अटेन्डेण्ट, कनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली ।

**रूपए 318.57 रूपए 9557/-**

**कुशल कर्मकार :-**

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, क्रशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक/जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन, फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रिशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाइजर, कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो क्रेन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रैप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोटर बाईंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, स्टोर कीपर, लेखा कलर्क, कर्लक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

**रूपए 348.21 रूपए 10446/-**

**(4) उच्च- कुशल कर्मकार :-**

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मैकेनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक, (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सपर्ट, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिस्टेन्ट, फार्मासिस्ट,

**रूपए 414.03 रूपए 12421/-**



नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट,खलासी (आठ वर्ष से अधिक का अनुभव)।

टिप्पणी:

- 1, समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6 गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रीक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी।
- 7 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जन-जातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए

कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

**13. फार्मास्यूटिकल उद्योग**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि " फार्मास्यूटिकल उद्योग "के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **14-07-2021** को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2021** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2021** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
<b>अकुशल कर्मकार:-</b> पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपींग हैल्पर, चपरासी, ।	रूपए 300/-	रूपए 9000/-

<b>अर्ध-कुशल कर्मकार:-</b> तकनीशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिकयोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेन्ट, ।	रूपए 309.27	रूपए 9278/-
--	-------------	-------------

**कुशल कर्मकारः—** ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीकल रूपए 348.21 रूपए 10446/—  
सुपरवाईजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर,  
सिकयोरिटी सुपरवाईजर, इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर,  
एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री  
ऑपरेटर और कैशियर ।

**उच्च कुशल कर्मकारः—** सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज रूपए 414.03 रूपए 12421/—  
एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, मैडिकल एण्ड सेल्ज  
रिप्रेसेन्टेटिव , बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट,  
एमएससी कैमिस्ट और स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पणी:

- 1 समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी ।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4 यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके

कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

#### 14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लिनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लिनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई है

**अकुशल कर्मकार:-**

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, / वॉच मैन, चपरासी,  
रूम ब्वाय, आफिस ब्वाय और मसालची।

रूपए 300/- दैनिक

रूपए 274.47 दैनिक

रूपए 9000/- मासिक

रूपए 8234/- मासिक

**अर्ध- कुशल कर्मकार :-**

क्लिनिक अटेन्डेंट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीसटेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट, वार्ड ब्वाय / वार्ड अटैन्डेंट (0 से 3 वर्ष का अनुभव)	रूपए 316.99 दैनिक रूपए 9510 /- मासिक	रूपए 289.12 दैनिक रूपए 8674 /- मासिक
--	---	---

**कुशल कर्मकार :-**

रिसेप्शनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेड दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो ग्राफर, ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट, चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट, स्टोर कीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक और धोबी वार्ड ब्वाय (3 वर्ष से ऊपर का अनुभव)।	रूपए 348.21 दैनिक रूपए 10446 /- मासिक	रूपए 320.06 दैनिक रूपए 9602 /- मासिक
---	--	---

**उच्च कुशल कर्मकार:-**

स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो-ग्राफर ।	रूपए 362.34 दैनिक रूपए 10870 /- मासिक	रूपए 335.37 दैनिक रूपए 10061 /- मासिक
--	--	--

**टिप्पणी:-**

- 1 समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।

- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।



1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

## 15. घरेलू कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कर्मकार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई है

**अकुशल कर्मकार:-**

हेल्पर, आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन ।

रूपए 300/- दैनिक

रूपए 246/- दैनिक

रूपए 9000 /- मासिक

रूपए 7380/- मासिक

अर्ध— कुशल कर्मकार :-

सिक्क्योरिटी गार्ड, माली ।

रूपए 316.99 दैनिक

रूपए 256.88 दैनिक

रूपए 9510/- मासिक

रूपए 7306/- मासिक

कुशल कर्मकार :-

कुक और चालक

रूपए 348.21 दैनिक

रूपए 276.92 दैनिक

रूपए 10446/- मासिक

रूपए 8308/- मासिक

टिप्पणी:

- 1, समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध—कुशल/कुशल/उच्च—कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004 ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
10. गार्ड फाईल ।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

सितम्बर, 2021

## 16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
<b>अकुशल कर्मकार:-</b>	दैनिक	मासिक
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन।	रूपए 300/-	रूपए 9000/-
<b>अर्ध- कुशल कर्मकार :-</b>		
वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट।	रूपए 309.27	रूपए 9278/-

### कुशल कर्मकार :-

चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्प्यूटर रूपए 348.21 रूपए 10446 /—  
ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।

### उच्च कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपेक्टर और स्टेनो ग्राफर। रूपए 414.03 रूपए 12421 /—

टिप्पणी:-

- 1 समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अंतर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर ,2021

## 17. सुरक्षा सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2021 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 14-07-2021 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2021 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2021 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

**अकुशल कर्मकार:-**

	दैनिक	मासिक
हेल्पर और वॉच मैन ।	रुपए 300/-	रुपए 9000/-

**अर्ध-कुशल कर्मकार:-**

सिक्थोरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट ।	रुपए 309.27	रुपए 9278/-
--	-------------	-------------

**कुशल कर्मकार :-**

सिक्थोरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	रुपए 348.21	रुपए 10446/-
--	-------------	--------------



उच्च कुशल कर्मकार :-

सिक्वोरिटी ऑफिसर , सिक्वोरिटी मैनेजर, स्टेनोग्राफर और रूपए 414.03 रूपए 12421/-  
अकाउन्टेन्ट ।

टिप्पणी:-

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. सुरंगो के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी अनुज्ञेय होगी ।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रीक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी ।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जन-जातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी । जनजातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रीक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं

है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
**(Ph.No.0177-2880551)**

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

**18. मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **14-07-2021** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2021** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2021** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है

जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई है

अकुशल कर्मकार :-

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्याय और बेलदार ।

रूपए 300 दैनिक

रूपए .274.47 दैनिक

रूपए 9000/- मासिक

रूपए 8234/- मासिक

अर्ध-कुशल कर्मकार :

चपाती मेन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रूपए 316.99 दैनिक रूपए 289.12 दैनिक  
 टेम्पल अटेन्डेड, भोग रूम अटेन्डेड, हॉल अटेन्डेड, रूपए 9510/- मासिक रूपए 8674/- मासिक  
 सेवादार, सिक्क्योरिटी गार्ड, माली, एसिसटेन्ट  
 स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट  
 अटेन्डेड ।

कुशल कर्मकार:-

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेंट, रिसेप्शनिस्ट, पुजारी, पण्डित, रूपए 348.21 दैनिक रूपए 320.06 दैनिक  
 कुक, मौलवी # ग्रन्थी, पादरी, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स रूपए 10446/- मासिक रूपए 9602/- मासिक  
 क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर  
 और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार:-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन रूपए 362.34 दैनिक रूपए 335.37 दैनिक  
 गायक, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट, रूपए 10870/- मासिक रूपए 10061/- मासिक

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं

है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-I तारीख: शिमला-2 9 सितम्बर, 2021
1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
  2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
  3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
  4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
  5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
  6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
  7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
  8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
  9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
  10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

**19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कर्मकार**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों" में कार्यरत कर्मकारों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2021** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्याक 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल, तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **14-07-2021** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2021** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2021** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:-

चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची ।

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

हैल्पर कुक, केश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट

स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और कम्प्लेन्ट अटैन्डैट ।

कुशल कर्मकार :-

इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर

ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

न्यूनतम

दैनिक

रूपए 300/-

मजदूरी

मासिक

रूपए 9000/-

रूपए 309.27

दैनिक

रूपए 9278/-

मासिक

रूपए 348.21

दैनिक

रूपए 10446/-

मासिक

उच्च कुशल कर्मकार :-  
सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।

रुपए 414.03 रुपए 12421/-  
दैनिक मासिक

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-2/2018-पी-1

तारीख: शिमला-2

9 सितम्बर, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. अति० मुख्य सचिव, मा० मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
4. विशेष निजी सचिव, माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. विशेष निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
6. निदेशक, लेबर ब्यूरो, भारत सरकार शिमला-171 004।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 1-16/78(लैब)एम. डब्ल्यू/8/07, दिनांक 30.07.2021 के सन्दर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)